Factual and Action TakenReport regarding Hon'ble NGT order dated 07/03/2022 in the matter of O.A. No. 175/2022, Vijay Kishore Goswami Vs State of Uttar Pradesh & Ors.

1. Background

Hon'ble National Green Tribunal (NGT) in the matter of Original Application No. 175 of 2022, dated 07/03/2022, Vijay Kishore Goswami Vs State of Uttar Pradesh & Ors. directed as below:

1. *Grievance of the applicant Mr. Vijay Kishore Goswami is against reckless and excessive concretization in the areas of Banke Bihar Colony, Ramanreti, Kailash Nagar, Chaitanya Vihar and along with Yamuna Parikrama Marg in the city of Vrindawan, Uttar Pradesh in the violation of the orders of this Tribunal in O.A. No, 165/2013, titled "Akash Vasihstha vs Union of India and the G.O. dated 23.03.2018 issued by the state of Uttar Pradesh.*

2. *Having regard to the allegations of the applicant, it appears necessary to ascertain the factual position in the matter through a joint committee of the State PCB, DFO and District Magistrate-Mathura. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance. The joint committee may meet within four weeks and undertake site visit and look into the grievances of the applicant. Factual and action taken report may be furnished within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.*

2. Proceedings

a. In compliance of the above order, Member Secretary, U P Pollution Control Board, Lucknow vide letter dated 16.03.22 (Annexure-1) has nominated Sri D. K. Gupta, Regional Officer In-charge, Mathura as representative of State Board.

b. District Magistrate, Mathura issued directions vide order dated 28.04.2022(Annexure-2) for ensuring site visit and to check the grievance of applicant in context of violation of Hon'ble NGT O.A. No, 165/2013, titled

"Akash Vasihstha vs Union of India and the G.O. dated 23.03.2018 issued by the state of Uttar Pradesh and submit the latest report before 13.07.2022.

c. Site inspection was conducted by the joint committee on date 18.05.2022.

d. Meetings of the committee were conducted on dates 09.05.22, 25.05.22, 08.06.22, 15.06.22, 22.06.22, 28.06.22 to follow up the matter under the chairmanship of DM/ADM with concerned authorities and as per minutes of the meeting, compliance chart has been annexed (Annexure-3).

3. **Factual Status Report**

Site inspection was conducted by the joint committee ON 18.05.2022 (Annexure-4) in the presence of applicant, Shri Vijay Kishore Goswami (The petioner). Major findings of Site inspection of the inspection committee are as follows-

- In Chaitanya Vihar, from Bhagwat niwas building to jagat guru kripalu parishad sansthan the road length is about 600 meters. whose width varies from 10 meters to 11 meters.It was found to have been concretized.(photographs annexed)
- In Ramanreti, the road length of about 1.0 km having width as 11 meters from Thakur ji ashram to radha krishna Pathak bageechee was found to have been concretized.(photograph annexed)
- In Ramanreti-Banke Bihari Colony, road length of about 1.0 km having width as 11 meters. from nagar nigam park to banke bihari colony was found to have been concretized. (photographs annexed)
- In Kailash nagar, the road length of approx. 2.0 km having width from 10 meters to 12.5 meters from dauji bageechee to sabji mandi was found to have been made with interlocking tiles completely. (photographs annexed)
- Yamuna parikrama marg is about 5.0 km in length is a Damar road (Coal Tar) and footpath has been made with interlocking tiles. (photographs annexed).

The inspection committee recommended that:-

On the basis of site inspection report, it was observed prima facie that Chaitanya vihar, ramanreti and banke bihari colony roads have been concretized completely. Kailash nagar road is made with interlocking tiles and parikrma marg footpath has been made with interlocking tiles. Hence in context of violation of directions of Hon'ble NGT OA No. 165/2013 Akash vasistha Vs Union of India order dated 05.07.2016 and further Nagar vikas anubhag-5, U P govt. G.O. dated 23.03.2018, notices should be issued to all concerned executive agencies viz. Mathura-Vrindawan Nagar Nigam, Mathura-Vrindawan Development Authority, Public works department and UP Rural Engineering Services, Mathura to get their replies.

4. Action Taken Report

1) On the basis of the report of site inspection committee dated 18.05.2022 , notices were issued to all concerned executive agencies viz. Mathura-Vrindawan Nagar Nigam, Matura-Vrindawan Development Authority, Public works department and UP Rural Engineering Services, Mathura to get their replies dated 24.05.2022 through designated nodal agency viz. SPCB officer. (Annexure 5)
2) Replies were received from concerned agencies as follows:
   i) Executive Engineer, Rural engineering services, Mathura vide letter dated 16.06.22 (Annexure-5) informed that department has not conducted any work on the above mentioned locations.
   ii) Chief Engineer, Mathura-Vrindawan Nagar Nigam vide letter dated 23.06.22 (Annexure-6) informed that Chaitanya vihar & Kailash Nagar colony/areas have been developed by Mathura-Vrindawan development authority, CC and interlocking tiles work was done and was handed over to Nagar Nigam in year 2021. In Banke Bihari colony, road is constructed prior to propagation of G.O., only maintenance of CC roads are being done.
   iii) Chief Engineer, Mathura-Vrindawan development authority vide letter dated 28.06.2022 and 01.07.2022 (Annexure-7) has informed that In Kailash nagar, the road length approx. 2.0 km whose width varies from 10 meters to 12.5 meters from dauji bageechee to sabji mandi is made

with interlocking tiles completely in year 2014-15. G.S.B. and interlocking tiles have been used for carriage way and footpath. This activity is done prior to the G.O. dated 23.03.2018 and directions will be complied with in future work.

iv) Executive Engineer, Provincial division, Public Works Department, Mathura vide letter dated 28.06.2022 and 30.06.2022 (Annexure-8) has informed that In chaitany vihar and ramanreti, old road is maintained with 15 cm CC work by the department and area around plantation has been kept earthen. On Yamuna parikrama marg, After 2018 no interlocking work is performed on footpath while earthen footpath is developed by braj teerth vikas parishad in place of interlocking tiles. No violation of G.O. is being done on the above two roads.

A summary of the positions communicated has been annexed with as annexure-9.

(D K Gupta) Assist. Env. Engineer U P Pollution Control Board Mathura	(P. K. Pandey) Sub-divisional Officer Social Forestry Department Mathura	(Manoj Kumar Chaurasia) Regional Officer (I/c) U P Pollution Control Board Mathura
(Yoganand Pandey) A.D.M.(F/R) Mathura	(Rajanikant Mittal) Divisional Director Social Forestry Division Mathura	(Navneet Singh Chahal) District Magistrate Mathura

ANNEXURE-1

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या : H-2997 /सी-4/एन.जी.टी.-139 /2022 दिनांक 16-3-22

सेवा मे,

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मथुरा।

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या-175/2022 विजय किशोर गोस्वामी बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.03.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या-175/2022 विजय किशोर गोस्वामी बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.03.2022, जिसका सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

.............2. Having regard to the allegations of the applicant, it appears necessary to ascertain the factual position in the matter through a Joint Committee of the State PCB, DFO and District Magistrate-Mathura (Uttar Pradesh). The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance. The Joint Committee may meet within four weeks and undertake site visit and look into the grievance of the applicant. Factual and action taken report may be furnished within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List the matter for consideration on 13/07/2022.

A copy of this order, along with a copy of the complaint, be forwarded to the State PCB, DFO and District Magistrate-Mathura (Uttar Pradesh) by e-mail for compliance.

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में श्री डी0के0 गुप्ता क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा (मो0 नं0-7839891765 ई-मेल-romathura@uppcb.in) को राज्य बोर्ड का प्रतिनिधि नामित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में गठित समिति के साथ समन्वय स्थापित कर निर्धारित समयावधि में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मथुरा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, मथुरा।

सदस्य सचिव

ANNEXURE-2

कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा

पत्रांकः 125 /ROPCB/2022 दिनांक 28/4/22

1. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन विभाग, मथुरा।
2. सिटी मजिस्ट्रेट, मथुरा।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा (नोडल एजेन्सी)।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0–175/2022 विजय किशोर गोस्वामी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.03.2022 के अनुपालन में प्रगति रिपोर्ट दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0–175/2022 विजय किशोर गोस्वामी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.03.2022 द्वारा जिला वानिकी अधिकारी, मथुरा, जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा की संयुक्त टीम गठित की गयी। उक्त आदेशानुपालन में गठित संयुक्त समिति के द्वारा 04 सप्ताह के अन्दर मौके पर स्थलीय निरीक्षण कर आवेदक की शिकायत के आधार पर मा0 एन0जी0टी0 में दायर ओ0ए0 सं0–165/2013 आकाश वशिष्ठ बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेश एवं शासनादेश दिनांक 23.03.2018 के निर्देशों के उल्लंघन के सम्बन्ध में अद्यतन रिपोर्ट प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे मा0 एन0जी0टी0 को दिनांक 13.07.2022 से पूर्व अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जा सके।

(नवनीत सिंह चहल)
जिला मजिस्ट्रेट
मथुरा।

ANNEXURE-3

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–175/2022 विजय कुमार गोस्वामी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.03.2022 के अनुपालन में

विभाग का नाम	बिन्दुओं के सम्बन्ध में दिनांक 09.05.2022 की बैठक के क्रम में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट एवं उपस्थिति	बिन्दुओं के सम्बन्ध में दिनांक 25.05.2022 की बैठक के क्रम में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट एवं उपस्थिति	बिन्दुओं के सम्बन्ध में दिनांक 08.06.2022 की बैठक के क्रम में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट एवं उपस्थिति	बिन्दुओं के सम्बन्ध में दिनांक 15.06.2022 की बैठक के क्रम में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट एवं उपस्थिति	बिन्दुओं के सम्बन्ध में दिनांक 22.06.2022 की बैठक के क्रम में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट एवं उपस्थिति	बिन्दुओं के सम्बन्ध में दिनांक 28.06.2022 की बैठक के क्रम में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट एवं उपस्थिति
सामाजिक वानिकी विभाग, मथुरा। सिटी मजिस्ट्रेट, मथुरा। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।	समिति साइट विजिट करते हुए याचिकाकर्ता की शिकायत को सुनें।	समिति साइट विजिट एवं याचिकाकर्ता के पक्षों के आधार पर कार्यदायी संस्थाओं को नोटिस जारी करे।	समिति द्वारा नोडल एजेन्सी को कार्यदायी संस्थाओं से जबाव प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया।	समिति द्वारा नोडल एजेन्सी को कार्यदायी संस्थाओं से जबाव प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया।	नोडल एजेन्सी कार्यदायी संस्थाओं को अनुस्मारक पत्र भेजने हेतु निर्देश दिया गया।	समिति को कार्यदायी संस्थाओं से प्राप्त पक्षों का परीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया।

ANNEXURE-4

दिनांक 18.05.2022 को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–175/2022 विजय कुमार गोस्वामी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.03.2022 के अनुपालन में एक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे :–

1. श्री जवाहर लाल श्रीवास्तव, नगर मजिस्ट्रेट, मथुरा।
2. श्री प्रभाकान्त पाण्डेय, उपप्रभागीय वनाधिकारी, मथुरा।
3. श्री मनोज कुमार चौरसिया, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।

निरीक्षण टीम द्वारा चैतन्य विहार, रमनरेती, बांकेबिहारी कालोनी, कैलाश नगर एवं यमुना परिक्रमा मार्ग क्षेत्रों का स्थलीय सर्वे किया गया। निरीक्षण के समय याचिकाकर्ता श्री विजय कुमार गोस्वामी उपस्थित रहे।

- चैतन्य विहार में भगवत निवास बिल्डिंग से जगतगुरू कृपालु परिषद संस्था तक लगभग 600 मीटर लम्बाई के रास्ते को कांक्रीट कर पक्का पाया गया, जिसकी चौंडाई लगभग 10 मीटर से 11 मीटर के मध्य Vary करती है (फोटोग्राफ संलग्न)।
- रमनरेती में श्री ठाकुर जी आश्रम से राधाकृष्ण पाठक बगीची तक लगभग 1.0 कि0मी0 तक रास्ते को कांक्रीट कर पक्का पाया गया एवं रास्ते में लगे 4–5 वृक्षों के चारों तरफ को भी पक्का कर दिया गया, रोड की चौडाई लगभग 11.0 मीटर है (फोटोग्राफ संलग्न)।
- रमनरेती–बांके बिहारी कालोनी में स्थित नगर निगम पार्क के रास्ते से होते हुए बांके बिहारी कालोनी तक लगभग 1.0 कि0मी0 रास्ते को कांक्रीट कर पक्का पाया गया, जिसकी चौडाई लगभग 11.0 मीटर है (फोटोग्राफ संलग्न)।
- कैलाश नगर में दाऊजी की बगीची से सब्जी मण्डी तक लगभग 2.0 कि0मी0 तक रास्ते को इण्टर लाकिंग टाइल्स बिछाकर पक्का किया गया है, जिसकी चौडाई लगभग 10.0 से 12.5 मीटर के मध्य है (फोटोग्राफ संलग्न)।
- यमुना परिक्रमा मार्ग लगभग 5.0 कि0मी0 मार्ग डामर रोड एवं फुटपाथ को इण्टरलाकिंग टाइल्स बिछाकर पक्का किया गया है (फोटोग्राफ संलग्न)।

निरीक्षण के आधार पर प्रथम दृष्टया चैतन्य बिहार, रमनरेती, बांके बिहारी कालोनी क्षेत्र में पूर्णतयः कांक्रीट कर पक्का कर देना एवं कैलाश नगर में इण्टरलाकिंग टाइल्स तथा परिक्रमा मार्ग की सड़क के किनारे फुटपाथ को इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाकर पक्का कर दिए जाने पर मा0 एन0जी0टी0 के ओ0ए0 नं0–165/2019 आकाश वशिष्ठ बनाम यूनियन आफ इण्डिया में पारित आदेश दिनांक 05.07.2016 एवं उक्त के क्रम में नगर विकास अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 23.03.2018 में दिये गये निर्देशों के उल्लंघन के सम्बन्ध में कार्यदायी विभाग– मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण, नगर निगम, मथुरा–वृन्दावन, लोक निर्माण विभाग, Rural Engineering Services of Uttar Pradesh को पक्ष रखने हेतु नोटिस जारी किया जाये, जिसके आधार पर वास्तविक तथ्यों के साथ एक्सन टेकन रिपोर्ट संकलित कर दिनांक 13.07.2022 के पूर्व मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली को प्रेषित किया जा सके।

18/05/2022 — (मनोज कुमार चौरसिया), क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

18/05/2022 — (प्रभाकान्त पाण्डेय), उपप्रभागीय वनाधिकारी

18/5/22 — (जवाहर लाल श्रीवास्तव), नगर मजिस्ट्रेट

रमण रेती, वृन्दावन, मथुरा

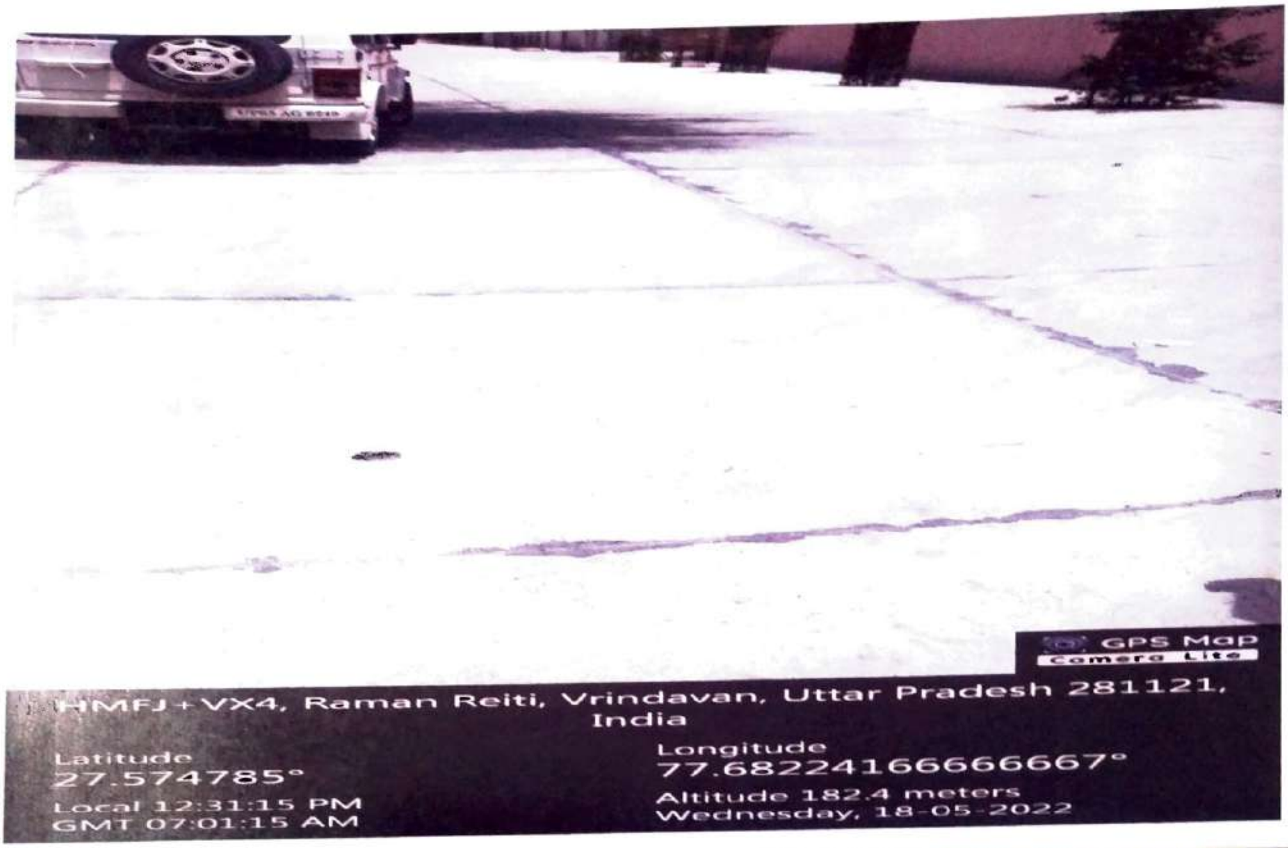

रमण रेती, वृन्दावन, मथुरा

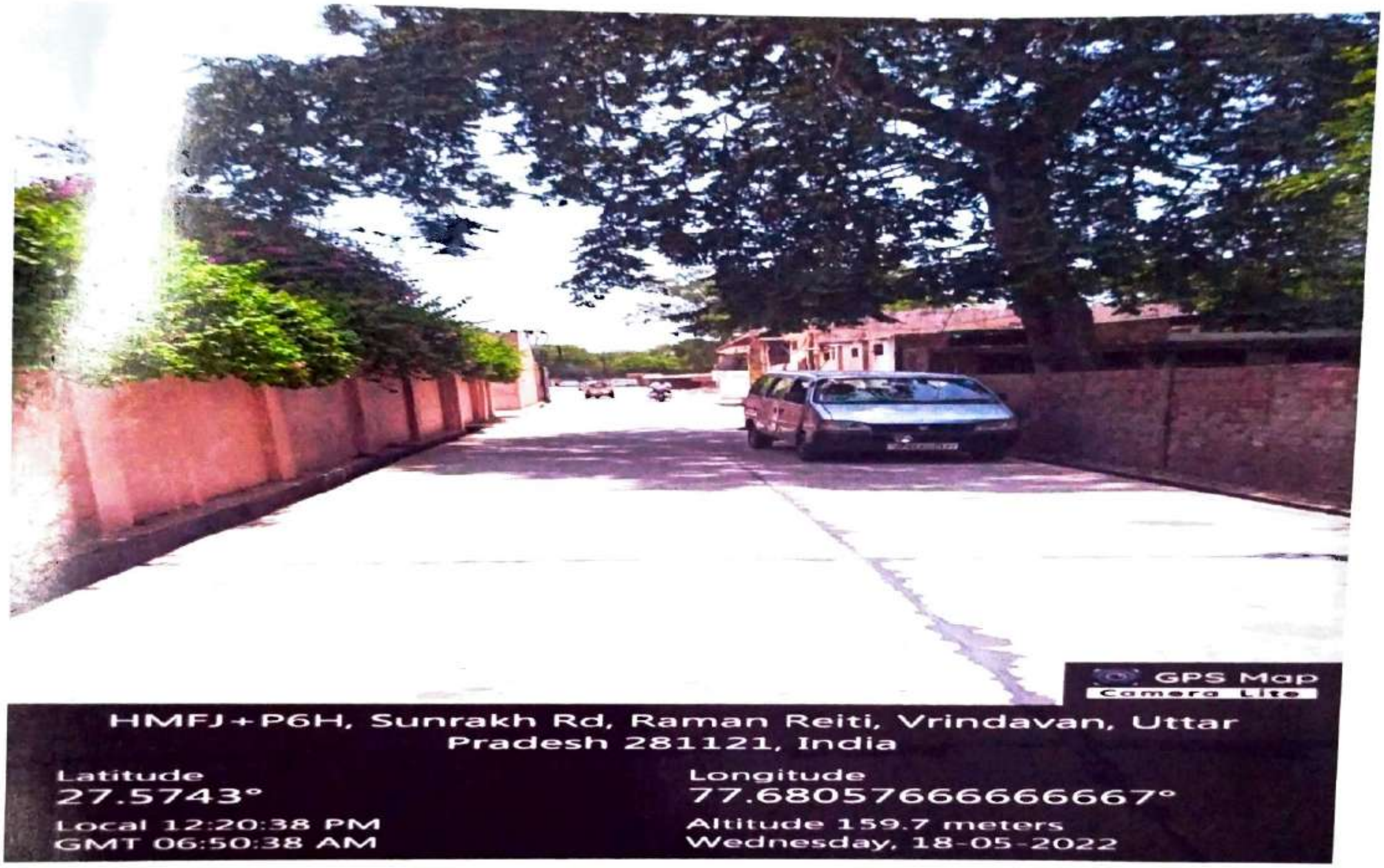

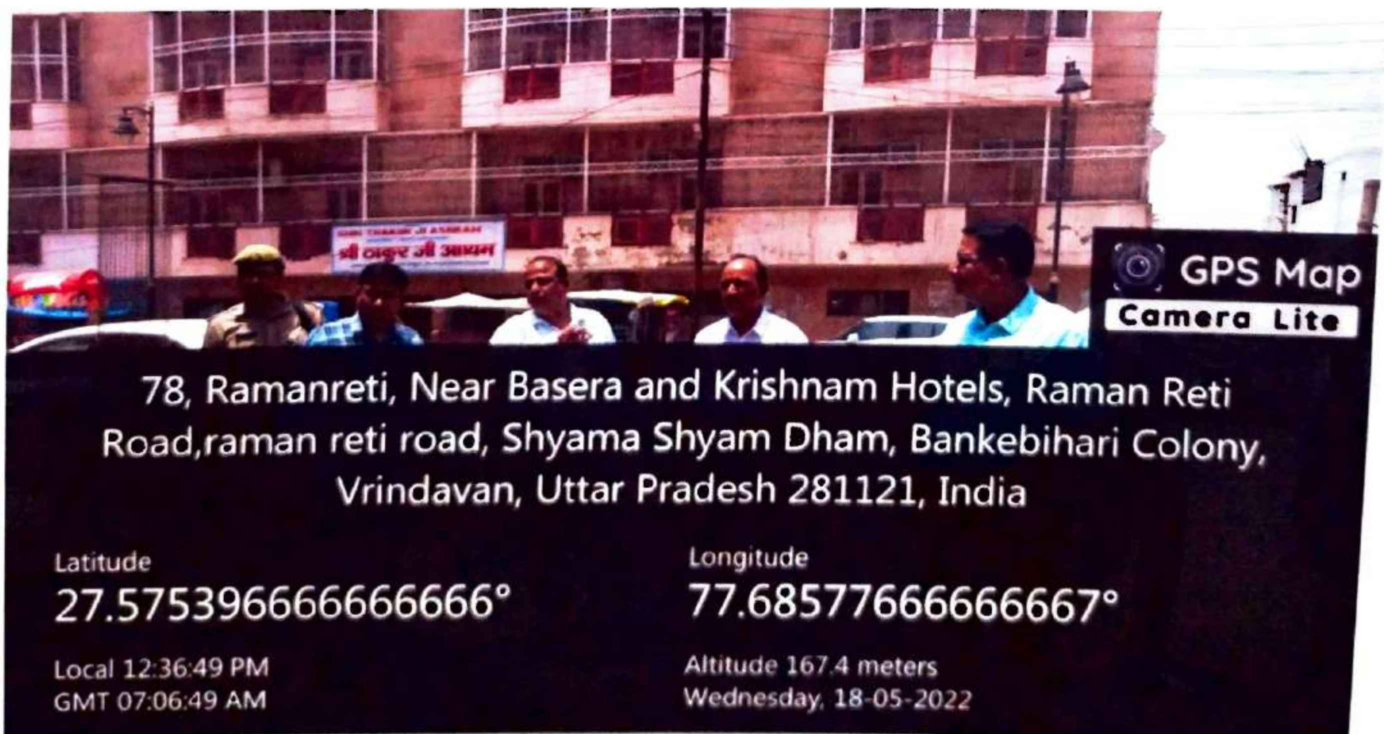

रमण रेती चैतन्य विहार, वृन्दावन, मथुरा

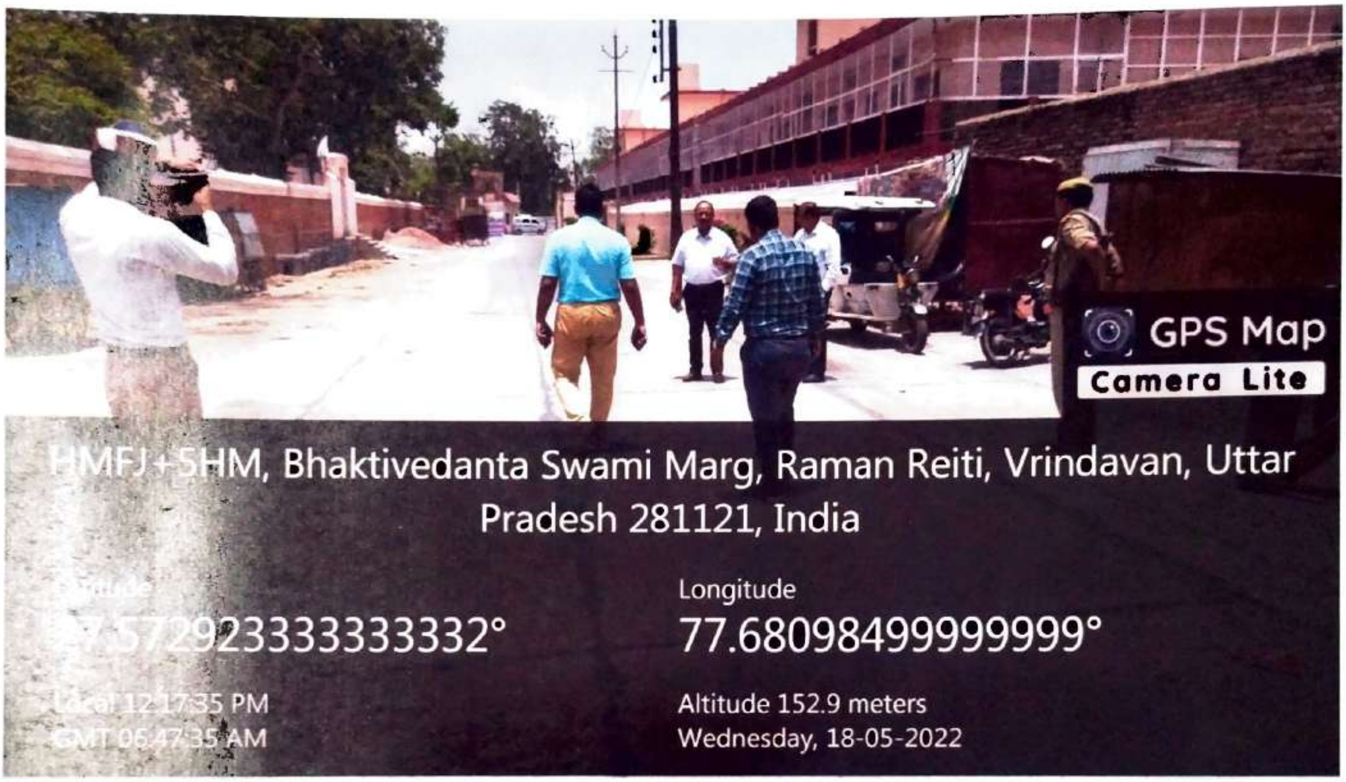

कैलाश नगर, वृन्दावन, मथुरा

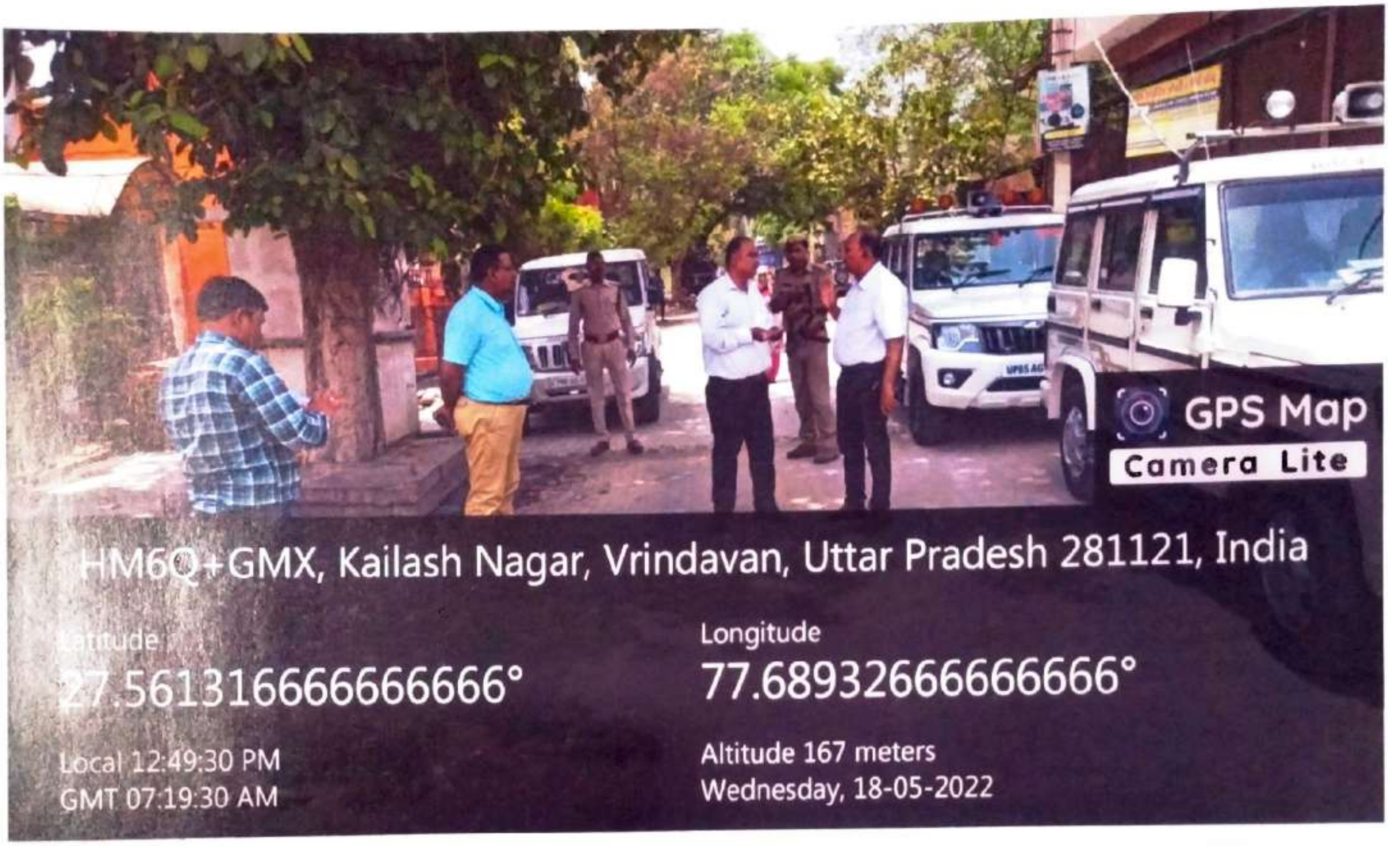

कैलाश नगर, वृन्दावन, मथुरा

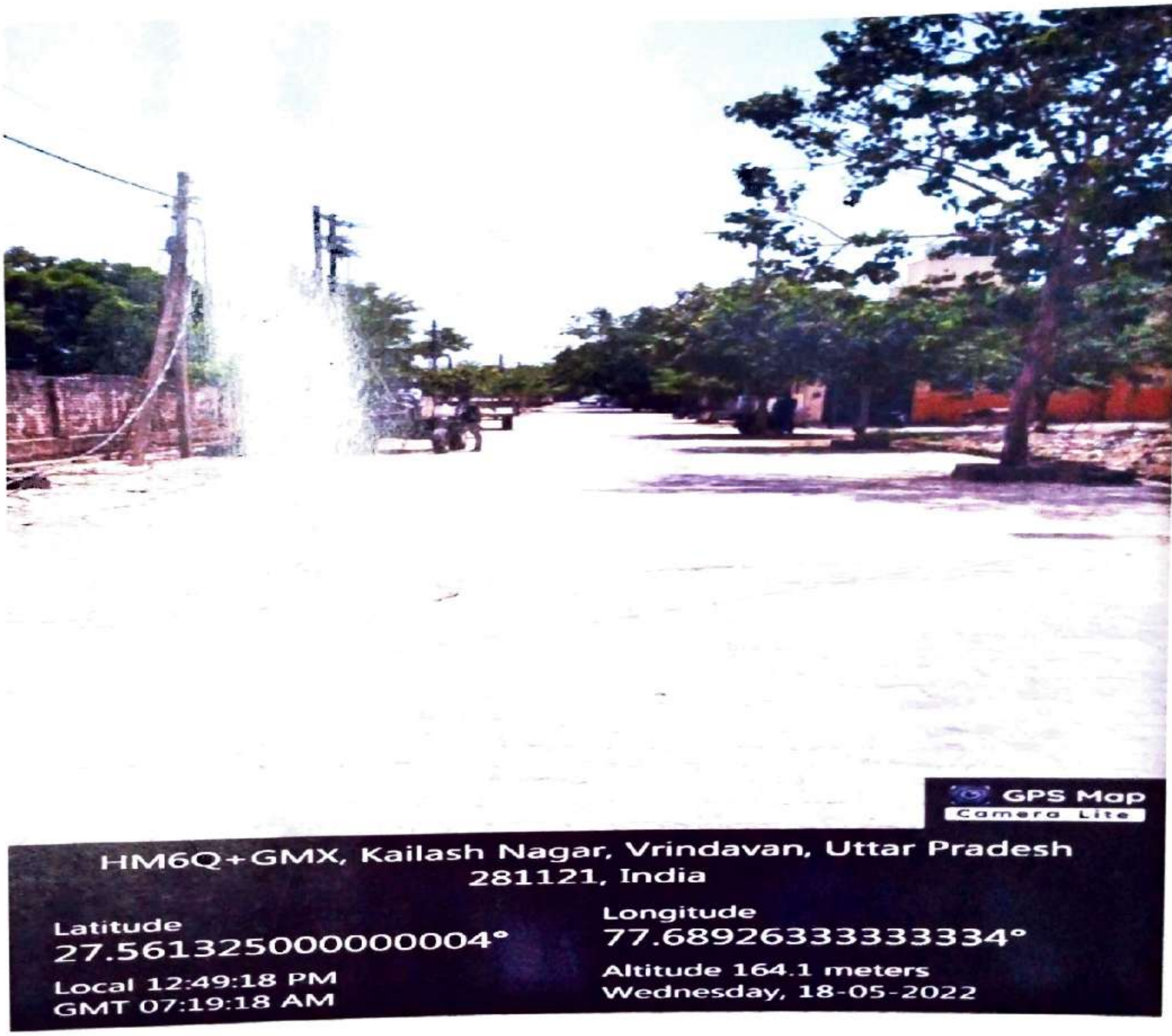

नगर निगम पार्क, बांके बिहारी कॉलौनी, वृन्दावन, मथुरा

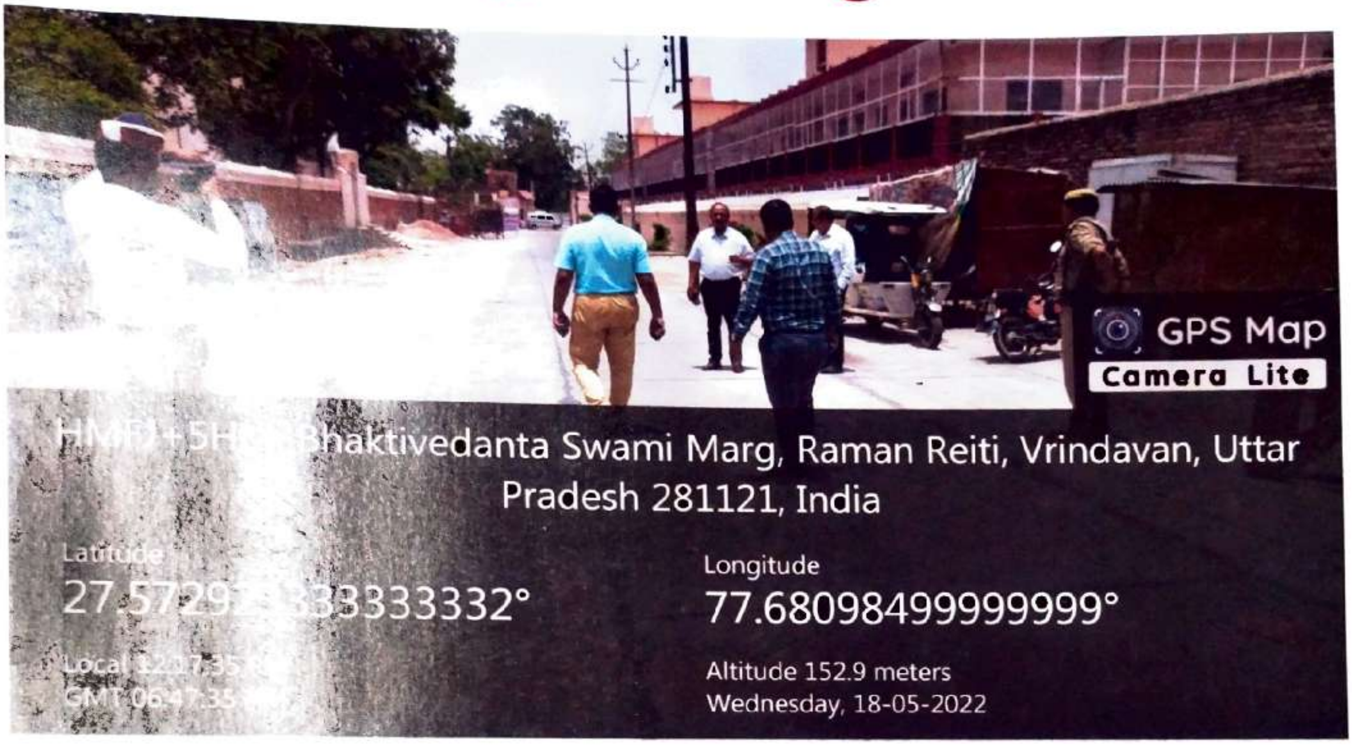

नगर निगम पार्क, बांके बिहारी कॉलौनी, वृन्दावन, मथुरा

मैन परिक्रमा मार्ग, केसी घाट वृन्दावन, मथुरा

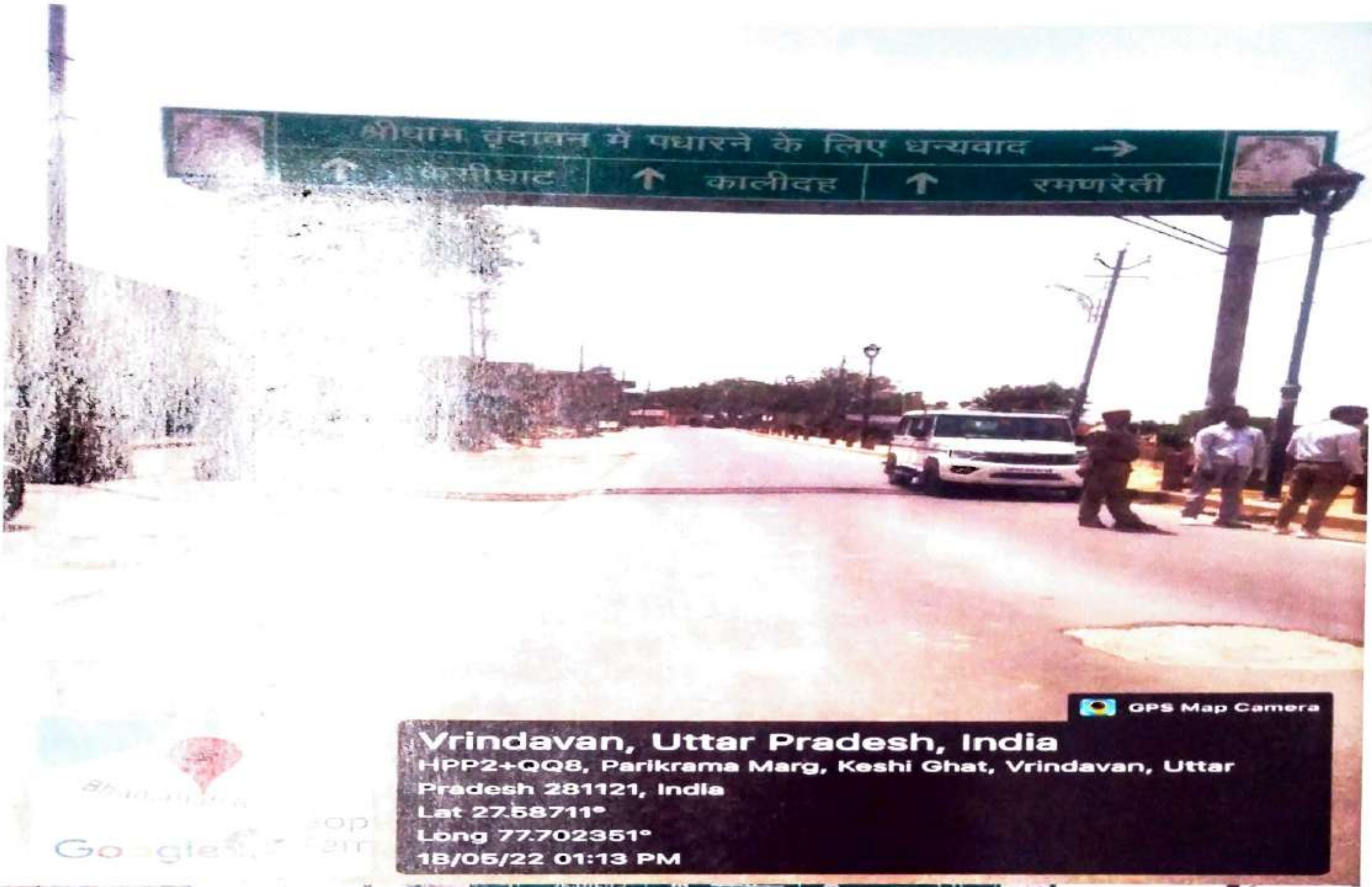

मैन परिक्रमा मार्ग, केशी घाट वृन्दावन, मथुरा

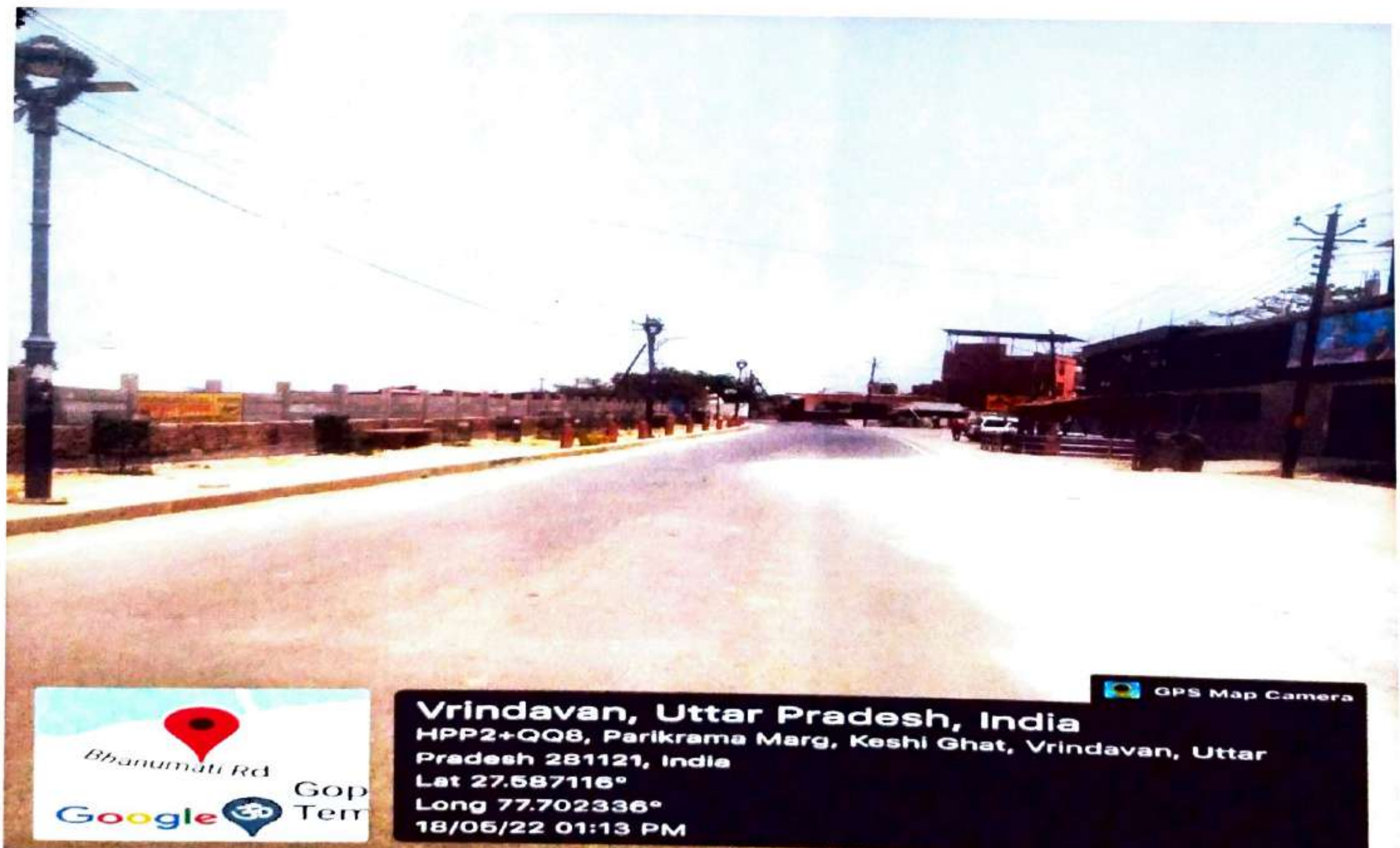

वेब साइटः www.uppcb.com
ई–मेल :- romathura@uppcb.in
ट्यूटर हैण्डल :- @UppcbMathura

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board
भवन सं0–65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड, मथुरा

पत्रांकः 457/0-85/2022 दिनांक 22/06/2022

अनुस्मारक

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष, मथुरा–वृन्दावनं विकास प्राधिकरण, मथुरा।
2. नगर आयुक्त, मथुरा–वृन्दावन नगर निगम, मथुरा।
3. अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मथुरा।

विषयः **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा योजित ओ0ए0 सं0–175/2022 विजय कुमार गोस्वामी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.03.2022 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। याचिकाकर्ता श्री विजय कुमार गोस्वामी द्वारा चैतन्य विहार, रमननेती, बांके बिहारी कालोनी, कैलाश नगर एवं यमुना परिक्रमा मार्ग क्षेत्रों में excessive concretization होने के दृष्टिगत मा0 एन0जी0टी0 के ओ0ए0 नं0–165/2019 आकाश वशिष्ठ बनाम यूनियन आफ इण्डिया में पारित आदेश दिनांक 05.07.2016 एवं उक्त के अनुक्रम में जारी नगर विकास अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 23.03.2018 में दिए गये निर्देशों का उल्लंघन होने सम्बन्धी तथ्यों का याचिका में उल्लेख किया गया है। उपरोक्त योजित ओ0ए0 सं0–175/2022 में एन0जी0टी0 द्वारा आदेश दिनांक 07.03.2022 में जिलाधिकारी, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को स्थलीय निरीक्षण कर याचिकाकर्ता की शिकायत के सम्बन्ध में वास्तविक तथ्यों के साथ एक्शन टेकेन रिपोर्ट दिनांक 13.07.2022 के पूर्व मा0 एन0जी0टी0 को प्रेषित करने हेतु आदेशित किया गया है।

अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक–305/ओ–85/2022 दिनांक 24.05.2022 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है तथा कई बार दूरभाष पर भी आपसे सूचना प्रेषित कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, किन्तु अभी तक आप द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है। तत्क्रम में दिनांक 22.06.2022 को अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), मथुरा की अध्यक्षता में आहूत बैठक में भी अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर रोष प्रकट किया गया है तथा निर्देशित किया गया है कि समस्त सूचनाऐं तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अनुरोध है कि उल्लिखित क्षेत्रों में आपके विभाग से किए गये कार्यों के सम्बन्ध में सन्दर्भित आदेशें एवं शासनादेश के अनुपालन पर अपना पक्ष तीन दिनों के अन्दर कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, तदनुसार वास्तविक तथ्यों को संकलित कर समयावधि के अन्दर मा0 एन0जी0टी0 को प्रेषित किया जा सके।

भवदीय

22/06/2022

(मनोज कुमार चौरसिया)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, मथुरा।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी विभाग, मथुरा।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

ANNEXURE -5

वेव साइटः www.uppcb.com
ई–मेल :- romathura@uppcb.in
ट्यूटर हैण्डल :- @UppcbMathura

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board

भवन सं0–65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड, मथुरा

पत्रांक: 305 / 0-85/2022 दिनांक 24/5/22

सेवा में, पंजीकृत

1. उपाध्यक्ष, मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा।
2. नगर आयुक्त, मथुरा–वृन्दावन नगर निगम, मथुरा।
3. अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मथुरा।
4. अधिशाषी अभियन्ता, उ0प्र0 ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, मथुरा।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा योजित ओ0ए0 सं0–175/2022 विजय कुमार गोस्वामी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2022 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। याचिकाकर्ता श्री विजय कुमार गोस्वामी द्वारा चैतन्य विहार, रमननेती, बांके बिहारी कालोनी, कैलाश नगर एवं यमुना परिक्रमा मार्ग क्षेत्रों में excessive concretization होने के दृष्टिगत मा0 एन0जी0टी0 के ओ0ए0 नं0–165/2019 आकाश वशिष्ठ बनाम यूनियन आफ इण्डिया में पारित आदेश दिनांक 05.07.2016 एवं उक्त के अनुक्रम में जारी नगर विकास अनुभाग–5, उ0प्र0 शाषन के शाषनादेश दिनांक 23.08.2018 में दिए गये निर्देशों का उल्लंघन होने सम्बन्धी तथ्यों का याचिका में उल्लेख किया गया है। उपरोक्त योजित ओ0ए0 सं0–175/2022 में एन0जी0टी0 द्वारा आदेश दिनांक 07.03.2022 में जिलाधिकारी, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को स्थलीय निरीक्षण कर याचिकाकर्ता की शिकायत के सम्बन्ध में वास्तविक तथ्यों के साथ एक्शन टेकेन रिपोर्ट दिनांक 13.07.2022 के पूर्व मा0 एन0जी0टी0 को प्रेषित करने हेतु आदेशित किया गया है।

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 18.05.2022 को नगर मजिस्ट्रेट, उपप्रभागीय वानिकी अधिकारी एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम द्वारा स्थलीय निरीक्षण के दौरान चैतन्य विहार, रमनरेती, बांके बिहारी कालोनी क्षेत्र में पूर्णतयः कांक्रीट कर पक्का कर देना एवं कैलाश नगर में इण्टरलाकिंग टाइल्स तथा परिक्रमा मार्ग की सडकें के किनारे फुटपाथ को इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाकर पक्का कर दिए जाने पर प्रथम दृष्टया मा0 एन0जी0टी0 के ओ0ए0 नं0–165/2019 आकाश वशिष्ठ बनाम यूनियन आफ इण्डिया में पारित आदेश दिनांक 05.07.2016 एवं उक्त के अनुक्रम में जारी नगर विकास अनुभाग–5, उ0प्र0 शाषन के शाषनादेश दिनांक 23.03.2018 में दिए गये निर्देशों का उल्लंघन परिलक्षित होता है (छायाप्रति संलग्न)।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अनुरोध है कि उल्लिखित क्षेत्रों में आपके विभाग से किए गये कार्यों के सम्बन्ध में सन्दर्भित आदेश एवं शाषनादेश के अनुपालन पर अपना पक्ष तीन दिनों के अन्दर कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, तदनुसार वास्तविक तथ्यों को संकलित कर समयावधि के अन्दर मा0 एन0जी0टी0 को प्रेषित किया जा सके।

भवदीय

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

23/05/2022
(मनोज कुमार चौरसिया)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, मथुरा।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी विभाग, मथुरा।

23/05/2022
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

oc

प्राप्त 17/06/2022

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
प्रखण्ड-मथुरा।

सेवा में,

क्षेत्रिय अधिकारी प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
भवन सं0- 65 ए, बल्देवपुरी, महोली रोड़
मथुरा।

पत्रांक 299 /ग्रा0अ0वि0/2022-23 दिनांक 16/06/2022

विषय :- **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा योजित ओ0ए0 सं0-175/2022 विजय कुमार गोस्वामी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2022 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय पत्रांक 305/0-85/2022 दिनां 24.05.2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पत्र में उल्लेखित कार्यों में से कोई भी कार्य इस प्रखण्ड के द्वारा नहीं कराया गया है। तद्नुसार अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड-मथुरा

E/Mohit Kumar/001/923

ANNEXURE - 6

कार्यालय : नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा

पत्रांकः 220 / मु०अ०अ० / न०नि०म०वृ० / दिनांकः 23 / 06 / 2022

प्रेषक :–

मुख्य अभियन्ता
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन।

सेवा में,

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
भवन सं0 65 ए, बल्देवपुरी, महोली रोड़, मथुरा।

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा योजित ओ0ए0 सं0 175/2022 विजय कुमार गोस्वामी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2022 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अपर नगर आयुक्त कार्यालय के पत्र 71/अ0न0आ0/न0नि0म0वृ0(वृन्दावन–जोन)/2022–23 दिनांक 16.06.2022 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0) श्री मनोज कुमार चौरसिया के पत्रांक 305/0–85/2022 दिनांक 24.05.2022 के द्वारा दिनांक 18.05.2022 के माध्यम से चाही गयी आख्या व नगर मजिस्ट्रेट, उप प्रभागीय वानिकी एवं क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की टीम के द्वारा स्थलीय निरीक्षण के दौरान चेतन्य बिहार रमनरेती बॉके बिहारी क्षेत्र में पूर्णतः कंक्रीट कर पक्का कर देना एवं कैलाश नगर में इण्टरलॉकिंग टाइल्स तथा परिक्रमा मार्ग की सड़क के किनारे फुटपाथ को इण्टरलॉकिंग टाइल्स लगाकर पक्का कर दिये जाने पर प्रथम दृष्टया मा0 एन0जी0टी0 के ओ0ए0 नं0 165/2019 आकाश वशिष्ठ बनाम यूनियन इण्डिया में पारित आदेश दिनांक 05.07.2016 एवं उक्त के अनुक्रम में जारी नगर विकास अनुभाग–5 उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 23.08.2018 में दिये गये निर्देशों के क्रम में अवगत कराना है कि कैलाश नगर एवं चेतन्य बिहार कालोनी मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की गयी कालोनी है जिनकी सड़कों पर सी0सी0 व इण्टरलॉकिंग का कार्य कराया गया है उक्त कालोनी नगर निगम मथुरा–वृन्दावन को दिनांक 22.10.2021 को हस्तगत हुयी है तथा परिक्रमा मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग मथुरा एवं मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है वर्तमान में जिसके अनुरक्षण का कार्य भी लोक निर्माण विभाग मथुरा व मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। बांके बिहारी कालोनी क्षेत्र में शासनादेश निर्गत होने से पूर्व सड़क का निर्माण कार्य हुआ था तथा जिसके अनुरक्षण का कार्य नगर निगम मथुरा–वृन्दावन द्वारा कराया गया है।

भवदीय

मुख्य अभियन्ता
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन।

प्रतिलिपिः– नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनार्थ।

मुख्य अभियन्ता
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन।

ANNEXURE - 7

कार्यालय :-

मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण

32, सिविल लाइन्स, मथुरा।

ई-मेल – vcmvda2014@gmail.com / vcmvda@rediffmail.com

पत्र संख्या : 76

दिनांक : 28 - 06 - 2022

फोन नं. : 0565-2471090, फैक्स : 2471577

वेबसाईट : www.mvda.in

प्रेषक,

मुख्य अभियन्ता,
मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण,
मथुरा।

सेवामें,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भवन सं0–65ए, बल्देवपुरी महोली रोड़,
मथुरा।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा योजित ओ0ए0 सं0–175/2022 विजय कुमार गोस्वामी बनाम् स्टेट ऑफ यू.पी. एंव अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.03.2022 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0–305/0–85/2022 दिनांक 24.05.2022 व पत्र सं0–457/0–85/2022 दिनांक 22.06.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पत्र में उल्लिखित है कैलाश नगर में किये गये इण्टर लाकिंग टाइल्स लगाकर फुटपाथ को पक्का कर दिये जाने पर मा0 एन.जी.टी. के ओ0ए0 सं0–165/2019 आकाश वशिष्ठ बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेश दिनांक 05.07.2016 एवं उक्त के अनुक्रम मे जारी नगर विकास अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 23.08.2018 में दिये गये निर्देशों का उल्लघंन परिलक्षित होता है। उक्त कार्य को किये जाने पर सन्दर्भित आदेश एवं शासनादेश के अनुपालन में अपना पक्ष प्रेषित करने की अपेक्षा की गयी है।

तद्क्रम में अवगत कराना है कि समिति द्वारा निरीक्षण आख्या दिनांक 18.05.2022 में उल्लिखित 05 सड़कों में से मात्र 01 सड़क **"कैलाश नगर में दाऊजी की बगीची से सब्जी मण्डी तक लगभग 02 किमी0 रास्ते को इण्टरलाकिंग टाइल्स बिछाकर पक्का किया है, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 से 12.5 मी0के मध्य है "** मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण,मथुरा द्वारा वर्ष 2014–15 में प्रश्नगत् सड़क निर्मित की गयी थी। सड़क पर जी.एस.बी. के ऊपर इण्टरलाकिंग टाइल्स का ही उपयोग कैरिज–वे व फुटपाथ के निर्माण में किया गया है, अवगत कराना है कि उपरोक्त सड़क का निर्माण कार्य नगर विकास अनुभाग–5 के शासनादेश दिनांक 23.03.2018 से पूर्व 2014–15 में निर्माण कार्य कराया गया है। भविष्य में उपरोक्त शासनादेश का अनुपालन किया जायेगा।

(आर.पी.सिंह)
मुख्य अभियन्ता।

कार्यालय :-
मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण
32, सिविल लाइन्स, मथुरा।
ई-मेल – vcmvda2014@gmail.com / vcmvda@rediffmail.com

पत्र संख्या : 89/E.E/म.वृ.वि.प्रा./2021-22
दिनांक : 01 - 07 - 2022
फोन नं. : 0565-2471090, फैक्स : 2471577
वेबसाईट : www.mvda.in

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण,
मथुरा।

सेवामें,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भवन सं0–65ए, बल्देवपुरी महोली रोड़,
मथुरा।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा योजित ओ0ए0 सं0–175/2022 विजय कुमार गोस्वामी बनाम् स्टेट ऑफ यू.पी. एंव अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.03.2022 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0–506(ए)/0–85/2022 दिनांक 28.06.2022 क सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पत्र में उल्लिखित है कि **रमणरेती (श्री ठाकुर जी आश्रम स राधारमण पाठक बगीची तक) बॉके बिहारी कॉलोनी (नगर निगम पार्क से कॉलोनी तक)** **चैतन्य विहार (भवगत निवास बिल्डिंग से जगतगुरू कृपालु परिषद संस्थान तक)** में रोड के नि के सम्बन्ध में कोई विवरण प्रेषित नही किया गया है, जबकि मथुरा–वृन्दावन नगर निगम, म० द्वारा अवगत कराना गया है कि उक्त क्षेत्रों में रोड़ एवं कॉलोनी का विकास मथुरा–वृन्दा विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर निग मथुरा–वृन्दावन द्वारा दी गयी सूचना भ्रामक हैं। उपरोक्त सड़कों का निर्माण कार्य मथुरा–वृन्दा विकास प्राधिकरण द्वारा नही कराया गया है।

इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र सं0–76/म.वृ.वि.प्रा./2022–23 दिनांक 28.06.20 के माध्यम से आपके पत्र सं0–305/0–85/2022 दिनांक 24.05.2022 में उल्लिखित 05 सड़कें से मात्र 01 सड़क **"कैलाश नगर में दाऊजी की बगीची से सब्जी मण्डी तक लगभग 02 कि.मी रास्ते को इण्टरलाकिंग टाइल्स बिछाकर पक्का किया है, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 से मी0के मध्य है "** को मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण,मथुरा द्वारा वर्ष 2014–15 में सड़क की गयी थी, के सम्बन्ध में सूचना भेजी जा चुकी है।

अतः उपरोक्त स्थिति से अवगत होने का कष्ट करें।

(कौशलेन्द्र चौधरी)
अधिशासी अभियन्ता।

ANNEXURE – 8

[illegible] प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
Office of Executive Engineer
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मथुरा
Provincial Division, PWD, Mathura
E-mail : exerpwdmtr@gmail.com

जिलाधिकारी कार्यालय [illegible]
Collectrate Compound,
सिविल लाइन, मथुरा–281001
Civil Line, Mathura-281001
Phone No.- 0565-2471431

पत्रांक : 1936 / सी–1

सेवा में,

दिनांक : 28.06.2022

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)
क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
भवन सं0–65 ए, बल्देवपुरी, महोली रोड, मथुरा।

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा योजित ओ0ए0 सं0–175 / 2022 विजय कुमार गोस्वामी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2022 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– (1.) आपका पत्रांक 305 / 0–85 / 2022 दिनांक 24.05.2022
(2.) शासनादेश सं0–1022 / नौ–5–2016–92सा / 18न0वि0अनु0–5, लखनऊ दिनांक 23.03.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि याचिकाकर्ता श्री विजय कुमार गोस्वामी द्वारा वृन्दावन के विभिन्न क्षेत्रों में Excessive Concretization होने के दृष्टिगत मा0 एन0जी0टी0 के ओ0ए0 नं0–165 / 2019 आकाश वशिष्ठ बनाम यूनियन आफ इण्डिया में पारित आदेश दिनांक 05.07.2016 एवं उक्त के अनुक्रम में जारी नगर विकास अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन के सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 23.08.2018 में दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 18.05.2022 को जारी निरीक्षण टिप्पणी में इंगित मार्ग क्रमांक सं0–1 एवं क्रमांक सं0–5 लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है, जिसकी आख्या निम्नानुसार है :–

क्रमांक सं0–1 – चेतन्य बिहार में भगवत निवास बिल्डिंग से जगतगुरू कृपालु परिषद संस्था मार्ग विभागीय अभिलेखों में रतन छतरी से वृन्दावन शोध संस्थान मार्ग के नाम से अंकित है, जो कि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मथुरा के अधीन है। मार्ग पर अनुरक्षण मद में स्वीकृति के क्रम में पुरानी क्षतिग्रस्त सतह के स्थान पर 15 सेमी0 सी0सी0 का कार्य किया गया है। मार्ग पर किसी प्रकार का चौड़ीकरण का कार्य नही किया गया है। पूर्व निर्मित सतह पर ही मात्र सी0सी0 का कार्य किया गया है। पूर्व से स्थापित वृक्षों के किनारे कच्चा भाग रिक्त छोड़ा गया है। मार्ग पर अनुरक्षण कार्य श्रद्धालुओं एवं स्थानीय जनता को लाभ देने हेतु राजकीय हित में किया गया है। अतः सन्दर्भित शासनादेश में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मथुरा द्वारा नहीं किया गया है।

क्रमांक सं0–5 – यमुना परिक्रमा मार्ग विभागीय अभिलेखों में वृन्दावन परिक्रमा मार्ग के नाम से अंकित है, जो निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, मथुरा के अधीन है। मार्ग पर वर्ष 2018 के उपरान्त पटरियों पर कोई भी [illegible] का कार्य नहीं कराया गया है। अपितु ब्रज तीर्थ

विकास परिषद द्वारा मार्ग की पट्रियों पर पूर्व में लगी इण्टरलॉकिंग टाइल्सों के स्थान पर कच्चा परिक्रमा मार्ग विकसित कर सौन्दर्यीकरण का कार्य किया गया है। अतः सन्दर्भित शासनादेश में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, मथुरा द्वारा नहीं किया गया है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
मथुरा

पत्रांक / दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, मथुरा को उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
मथुरा

बेव साइटः www.uppcb.com
ई–मेल :- romathura@uppcb.in
ट्यूटर हैण्डल :- @UppcbMathura

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board
भवन सं0–65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड, मथुरा

पत्रांकः 506 (A)/0-05/2022 दिनांक 28/06/22

सेवा में,

अनुस्मारक

मुख्य अभियन्ता,
मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण,
मथुरा।

विषयः **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा योजित ओ0ए0 सं0–175/2022 विजय कुमार गोस्वामी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.03.2022 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषयक के सम्बन्ध में अपने पत्रांक संख्या 76/म0वृ0वि0प्र0/2021–22 दिनांक 28.06.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पत्र के माध्यम से आप द्वारा कैलाश नगर में दाऊ जी की बगीची से सब्जी मण्डी तक तक लगभग 02 कि0मी0 रास्ते को इण्टरलोकिंग टाइल्स बिछाकर पक्का किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत सड़क वर्ष 2014–15 में निर्मित की गयी है। सड़क पर जी0एस0बी0 के ऊपर इण्टरलोकिंग टाइल्स का उपयोग केरिजवे व फुटपाथ के निमार्ण में किया गया है। उपरोक्त सड़क का निमार्ण शासनादेश दिनांक 23.03.18 से पूर्व वर्ष 2014–15 में निमार्ण कराया गया है। भविष्य में उक्त शासनादेश का अनुपालन किया जायेगा।

प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आप द्वारा रमणरेती (श्री ठाकुर जी आश्रम से राधारमण पाठक बगीची तक), बांके बिहारी कालोनी (नगर निगम पार्क से कालोनी तक) एवं चैतन्य विहार (भवगत निवास विल्डिंग से जगतगुरू कृपालु परिषद संस्थान तक) में रोड़ के निमार्ण के सम्बन्ध में कोई विवरण प्रेषित नहीं किया गया है जबकि मथुरा–वृन्दावन नगर निगम, मथुरा द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त क्षेत्रों में रोड़ एवं कालोनी का विकास आपके विभाग द्वारा किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि लौटती डाक से प्रश्नगत क्षेत्रों में बनाये गये रोड़ के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें, जिसके आधार पर मा0 एन0जी0टी0 में शपथपत्र दाखिल किया जा सके।

भवदीय

28/06/2022
(मनोज कुमार चौरसिया)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
1. जिलाधिकारी महोदय, मथुरा।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी विभाग, मथुरा।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

बेव साइटः www.uppcb.com
ई–मेल :- romathura@uppcb.in
ट्यूटर हैण्डल :- @UppcbMathura

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board
भवन सं0–65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड, मथुरा

पत्रांकः 512(A)/0-85/2022 दिनांक 28/06/2022

अनुस्मारक

सेवा में,

अधिशाषी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निमार्ण विभाग,
मथुरा।

विषयः **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा योजित ओ0ए0 सं0–175/2022 विजय कुमार गोस्वामी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.03.2022 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अपने पत्रांक संख्या 2936/सी–1, दिनांक 28.06.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पत्र के माध्यम से आप द्वारा चैतन्य विहार एवं यमुना परिक्रमा मार्ग स्थित मार्गों को आप द्वारा विकसित किया जाना बताया गया है। अग्रेतर अवगत कराना है कि मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण पर दूरभाष पर वार्ता के आधार पर रमणरेती (श्री ठाकुर जी आश्रम से राधारमण पाठक बगीची तक) को आप द्वारा विकसित किया गया है। जबकि आप द्वारा अपने पत्र में इसका विवरण अंकित नहीं किया गया है। तत्क्रम में आपसे अनुरोध है कि सहमति की दशा में मार्ग को कंक्रीट से पक्का किये जाने के सम्बन्ध में अपना पक्ष लौटती डाक से प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय

28/06/2022
(मनोज कुमार चौरसिया)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, मथुरा।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी विभाग, मथुरा।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

उत्तर प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
Office of Executive Engineer
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मथुरा
Provincial Division, PWD, Mathura
E-mail : exerpwdmtr@gmail.com

जिलाधिकारी कार्यालय परिसर
Collectrate Compound,
सिविल लाइन, मथुरा–281001
Civil Line, Mathura-281001
Phone No.- 0565-2471431

पत्रांक : 1966 / सी–1

दिनांक : 30.06.2022

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)
क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
भवन सं0–65 ए, बल्देवपुरी, महोली रोड, मथुरा।

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा योजित ओ0ए0 सं0–175 / 2022 विजय कुमार गोस्वामी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.03.2022 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– (1.) आपका पत्रांक 512(ए0) / 0–85 / 2022 दिनांक 28.06.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें आप द्वारा वाँछित आख्या निम्नानुसार है :–

- **रमणरेती में श्री ठाकुर जी आश्रम से राधाकृष्ण पाठक बगीची तक** – श्री ठाकुर जी आश्रम से राधाकृष्ण पाठक बगीची तक मार्ग विभागीय अभिलेखों में रतन छतरी से वृन्दावन शोध संस्थान मार्ग के नाम से अंकित है, जो कि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मथुरा के अधीन है। मार्ग पर अनुरक्षण मद में स्वीकृति के क्रम में पुरानी क्षतिग्रस्त सतह के स्थान पर 15 सेमी0 सी0सी0 का कार्य की लम्बाई लगभग–0.300 किमी0 में कराया गया है। मार्ग पर किसी प्रकार का चौड़ीकरण का कार्य नही किया गया है। पूर्व निर्मित सतह पर ही मात्र सी0सी0 का कार्य किया गया है। पूर्व से स्थापित वृक्षों के किनारे कच्चा भाग रिक्त छोड़ा गया है। मार्ग पर अनुरक्षण कार्य श्रद्धालुओं एवं स्थानीय जनता को लाभ देने हेतु राजकीय हित में किया गया है। अतः सन्दर्भित शासनादेश में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मथुरा द्वारा नहीं किया गया है। आप द्वारा अपने निरीक्षण आख्या में मार्ग की लम्बाई लगभग 1.00 किमी0 बतायी गयी है। जिसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 0.300किमी0 लम्बाई में कार्य कराया गया है।

  आपको यह भी अवगत कराना है कि चेतन्य विहार में भगवत निवास बिल्डिंग से जगतगुरू कृपालु परिषद संस्था एवं रमणरेती में श्री ठाकुर जी आश्रम से राधाकृष्ण पाठक बगीची तक मार्ग विभागीय अभिलेखों में रतन छतरी से वृन्दावन शोध संस्थान मार्ग के नाम से अंकित है, जिसकी लम्बाई 0.900 किमी0 है। केवल किसी भाग में लोक निर्माण विभाग द्वारा सी0सी0 का कार्य कराया गया है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 मथुरा

पत्रांक : /

दिनांक

प्रतिलिपि:–

1. जिलाधिकारी महोदय, मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. **सहायक अभियन्ता (प्रथम)** प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मथुरा को उनके द्वारा उपलब्ध करायी **गयी आख्या के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।**

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 मथुरा

ANNEXURE-9

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–175/2022 विजय कुमार गोस्वामी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.03.2022 के अनुपालन में सम्बन्धित विभागों की प्राप्त आख्या का सारांश

सम्बन्धित विभाग	चैतन्य विहार (भगवत निवास विल्डिंग से जगतगुरू कृपालु परिषद संस्थान तक) 600 मी0 लम्बाई, 10–11 मी0 चौडाई कंक्रीट कर पक्का करना	रमणरेती (श्री ठाकुर जी आश्रम से राधारमण पाठक बगीची तक) 1.0 कि0मी0 लम्बाई, 11 मी0 चौडाई कंक्रीट कर पक्का करना	बांके बिहारी कालोनी (नगर निगम पार्क से कालोनी तक) 1.0 कि0मी0 लम्बाई, 11 मी0 चौडाई कंक्रीट कर पक्का करना	कैलाश नगर (दाऊजी की बगीची से सब्जी मण्डी तक) 2.0 कि0मी0 लम्बाई, 10–12.5 मी0 चौडाई इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाना	यमुना परिक्रमा पार्क लम्बाई 5.0 कि0मी0, फूटपाथ की इण्टरलाकिंग टाइल्स बिछाकर पक्का करना
उ0प्र0 ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	कोई कार्य नहीं कराया गया	कोई कार्य नहीं कराया गया	कोई कार्य नहीं कराया गया	कोई कार्य नहीं कराया गया	कोई कार्य नहीं कराया गया
नगर–निगम, मथुरा–वृन्दावन	मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया एवं नगर निगम को वर्ष 2021 में हस्तगत हुई है।	–	शासनादेश निर्गत होने से पूर्व सड़क का निर्माण कार्य हुआ था, जिसका अनुरक्षण कार्य कराया गया है।	मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया।	पी0डब्ल्यू0डी0 एवं मथुरा–वृन्दावन, विकास प्राधिकरण द्वारा कार्य कराया गया है।
मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण	विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है।	विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है।	विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है।	वर्ष 2014–15 में शासनादेश दिनांक 23.03.2018 से पूर्व कार्य कराया गया।	–
लोक निर्माण विभाग	पूर्व निर्मित सतह पर मात्र सी0सी0 का कार्य कराया गया है वृक्षारोपण को कच्चा छोडा गया है एवं शासनादेश का उल्लंघन नहीं किया गया है।	पूर्व निर्मित सतह पर मात्र सी0सी0 का कार्य किया गया है। वृक्षारोपण को कच्चा छोड़ा गया है एवं शासनादेश का उल्लंघन नहीं किया गया है।	–	–	वर्ष 2018 के बाद कोई कार्य नहीं कराया गया एवं शासनादेश का उल्लंघन नहीं किया गया है।